**प्रेस नोट**
**जनपद – गोण्डा**
**दिनांक – 16.03.2026**

**थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा किसानों से उनके ट्रैक्टरों को रेलवे में संबद्ध कराने के बहाने दूरस्थ जनपदों में अधिक दाम पर बेचने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 अदद ट्रैक्टर बरामद-कार्यवाही-**

गोण्डा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासों के फलस्वरूप थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 223/2025, मु0अ0सं0- 224/2025, मु0अ0सं0- 226/2025 तथा मु0अ0सं0- 314/2025 अन्तर्गत धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) बीएनएस से संबंधित अन्तर्जनपदीय गैंग के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 05 अदद ट्रैक्टर बरामद किए।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 30.06.2025 को वादी अनीश कुमार पुत्र हंशराज निवासी ग्राम तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उनका ट्रैक्टर स्वराज 735 (पंजीकरण संख्या UP43BJ5168) दिनांक 23.10.2024 को ग्राम पूरे बसावल पुर्वा थाना सदर जनपद प्रतापगढ़ के निवासी दुर्गेश सिंह, अनूप सिंह, शक्ति सिंह पुत्रगण बेचन तथा कुलदीप सिंह पुत्र अखिलेश सिंह रेलवे में कार्य कराने के नाम पर ₹25,000 प्रतिमाह किराये पर ले गये तथा ट्रैक्टर के समस्त कागजात भी अपने साथ ले गये। प्रारम्भ में 03 माह का अग्रिम किराया ₹75,000 दिया गया, किन्तु बाद में किराया देना बंद कर दिया गया तथा ट्रैक्टर वापस नहीं किया गया। इसी प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के ट्रैक्टर भी रेलवे कार्य में लगाने के बहाने किराये पर लेकर हड़प लिये गये, जिनका विवरण निम्न है—छोटू यादव निवासी तुलसीपुर माझा, गोण्डा का ट्रैक्टर (मॉडल 2024), हृदयराम निवासी तुलसीपुर माझा, गोण्डा का ट्रैक्टर स्वराज 735 (UP43BK0181), श्रीमती प्रभावती निवासी ग्राम बरगदी नसीराबाद थाना सदर जनपद अमेठी का ट्रैक्टर (UP33CH2019) दिनांक 03.01.2025 को रेलवे में कार्य कराने के नाम पर ₹25,000 प्रतिमाह किराये पर लेकर 03 माह का अग्रिम किराया दिया गया, किन्तु बाद में किराया देना बंद कर दिया गया तथा ट्रैक्टर वापस नहीं किया गया। जिसके बाद दिनांक 06.06.2025 को जब पीड़ितगण किराया एवं अपने-अपने ट्रैक्टर वापस लेने हेतु अभियुक्त दुर्गेश सिंह के घर स्कूटर इंडिया चौराहा, लखनऊ पहुँचे, तो अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए धमकी दी गई कि न तो किराया मिलेगा और न ही ट्रैक्टर वापस किया जाएगा। इसके बाद पीड़ितों द्वारा अपने-अपने ट्रैक्टरों की काफी खोजबीन की गई, किन्तु कोई पता नहीं चल सका, जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ट्रैक्टरों को हड़प कर अन्यत्र बेच दिया गया है। उक्त आवेदकों श्री अनीश कुमार, श्री छोटू कुमार, श्री हृदयराम व श्रीमती प्रभावती द्वारा नवाबगंज पर विभिन्न तिथियों में प्राप्त तहरीरों के आधार पर सुसंगत धाराओं में क्रमशः मु0अ0सं0- 223/2025, मु0अ0सं0- 224/2025, मु0अ0सं0- 226/2025 तथा मु0अ0सं0- 314/2025 पंजीकृत किए गए थे। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोगों की विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त कुलदीप सिंह को उसके घर पुरेवसावन थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ से गिरफ्तार किया गया, तथा कुलदीप की निशानदेही पर अभियुक्त सुभाष चन्द यादव, राम जी शर्मा व संदीप यादव को बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही पर 05 ट्रैक्टर बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त कुलदीप से प्रारम्भिक पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोगों का एक गैंग है जिसके द्वारा किसानों के ट्रैक्टर हम लोग किराये पर प्राप्त करते है। हम लोगों के गैंग के सदस्यों का अलग-अलग कार्य रहता है जिसके अनुसार ग्राम तुलसीपुर मांझा का दुर्गेश सिंह पुत्र बेचन सिंह किसानों को बहला फुसलाकर उनके ट्रैक्टर मासिक किराये पर चलवाने हेतु प्राप्त करते हैं तथा कुलदीप व दुर्गेश मिलकर किसानों से मासिक किराये का एग्रीमेंट कर देते थे। तथा किसानों को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से उन्हे

निर्धारित मासिक किराये के रूप में एडवांस दो या तीन महीने का किराया दे दिया जाता था। जिससे किसान भी संतुष्ट हो जाता था। तथा दो तीन महीने हम लोगों से अपने ट्रैक्टर के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नही करता था। कुलदीप व दुर्गेश किसानों से ट्रैक्टर प्राप्त कर उक्त ट्रैक्टर को सुभाष चन्द यादव पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम जगतपुर खास थाना बेबर जनपद मैनपुरी को कुछ लाभ देकर उसे दे देते थे । तथा सुभाष द्वारा उक्त ट्रैक्टरों को राम जी शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी ग्राम भदावल थाना छाता जनपद मथुरा तथा संदीप यादव निवासी ग्राम घसीटेपुरवा थाना बड्डपुर जनपद बाराबंकी को कुछ लाभ लेकर के बेच दिया जाता था। तथा उक्त ट्रैक्टरों को दोनों के द्वारा छल पूर्वक दूसरे किसानों को अच्छी खासी रकम लेकर बेच दिया जाता था। जिससे जो पैसा मिलता था उसमे से जो भी लाभ मिलता है उसे आपस में बराबर बराबर बंटवारा कर लिया करते है। पूछताछ में सुभाष चन्द यादव द्वारा यह बताया गया कि कुलदीप सिंह व दुर्गेश द्वारा जो भी ट्रैक्टर मुझे दिया जाता है उन ट्रैक्टरों को मैं रामजी शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी ग्राम भदावल थाना छाता जनपद मथुरा व संदीप यादव पुत्र रमेश चन्द यादव निवासी ग्राम घसीटे पुरवा थाना बड्डपुर जनपद बाराबंकी के माध्यम से किसानों के बक्री करते है। अभियोग से सम्बन्धित ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में पूछने पर उसके द्वारा यह बताया गया कि उक्त ट्रैक्टरों को मैने राम जी शर्मा को दिया है। जिनके द्वारा ही उक्त टैक्टरों को किसानों को अलग-अलग बिक्री किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. कुलदीप सिंह पुत्र अखिलेश सिंह निवासी ग्राम पुरेवसावन थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
2. सुभाष चन्द यादव पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम जगतपुर खास थाना बेबर जनपद मैनपुरी।
3. राम जी शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी ग्राम भदावल थाना छाता जनपद मथुरा।
4. संदीप यादव निवासी ग्राम घसीटेपुरवा थाना बड्डुपुर जनपद बाराबंकी।

**अनावरित अभियोग—**

1. मु0अ0सं0 223 /2025 धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) BNS, थाना नवाबगंज गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 224 /2025 धारा 316(2), 352, BNS, थाना नवाबगंज गोण्डा
3. मु0अ0सं0- 226/2025 धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) BNS थाना नवाबगंज गोण्डा
4. मु0अ0सं0- 314/2025 धारा 316(2), 352, 318(4), 111(2)(2), 61(2) BNS, थाना नवाबगंज गोण्डा ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुभाष सिंह -**

1. मु0अ0सं0159/2025 धारा 111(2)(बी).316(2).318(4).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच ।
2. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस मुर्तिहा जनपद बहराइच ।
3. मु0अ0सं0 161/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस,मूर्तिहा जनपद बहराइच ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त कुलदीप सिंह -**

1. मु0अ0सं0 237/2016 धारा 364.419.420.467.468.471 भादवि0 थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0 378/2017 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0 159/2025 धारा111(2)(बी).316(2).318(4).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहाराइच ।
4. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहाराइच ।
5. मु0अ0सं0 161/2025 धारा 316(2).318(4).336(4).338.340(2).61(2) बीएनएस थाना मुर्तिहा जनपद बहाराइच ।

**बरामदगी का विवरण-**

1. ट्रैक्टर स्वराज, नं0 UP 43 BJ 5168
2. ट्रैक्टर स्वराज, नं0 UP 43 BJ 7315
3. ट्रैक्टर स्वराज, नं0 UP 43 BK 0181
4. ट्रैक्टर पावरटेक, नं0 UP 33 CH 2019
5. ट्रैक्टर स्वराज 735, नं0 UP 53 FL 9274

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

01. उ0नि0 विभव सिंह

02. उ0नि0 उमेश सिंह
02. हे0का0 अभिषेक सिंह
03. हे0का0 सुनील यादव-1
04. का0 अतुल सिंह
05. का0 अखिलेश यादव
06. का0 अभिषेक-1
07. का0 दीपेन्द्र सिंह

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 16.03.2026,**
**जनपद गोण्डा।**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन छिनैती करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-**
**कार्यवाहीः-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-226/2026, धारा 304(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त- 01. अंकित पाण्डेय पुत्र दिनेश पांडेय व 02. सनी शुक्ला उर्फ मानवेन्द्र शुक्ला पुत्र भानू प्रताप शुक्ला को किशुनदासपुर क्रासिंग के पास कोल्हमपुर जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो एच एफ डीलक्स वाहन UP43AJ5490 बरामद कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

वादी शिवशंकर पाण्डेय पुत्र स्व० जानकीप्रसाद पाण्डेय निवासी लवुआ टेपरा थाना को देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर को सूचना दी गई कि वह ई-रिक्शा चालक है, दिनांक 15.03.2026 को दोपहर में बादशाह बाग चौराहा छावनी सरकार थाना को0नगर गोण्डा से मेडिकल कालेज के रास्ते से करीब 200 मीटर आगे अपना ई-रिक्शा लेकर जा रहा था तभी काले रंग की हीरो होण्डा एचएफ डिलक्स पर बैठे दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा झपट्टा मारते हुए उनका किमती फोन वीवो लेकर भाग गये । लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 16.03.2026 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तो-01. सुरेश यादव व 02. अजय गुप्ता को चांदमारी पुलिया के पास चाँदमारी जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. अंकित पाण्डेय पुत्र दिनेश पांडेय उम्र 30 वर्ष निवासी भट्ठा परेड परेड सरकार थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
02. सनी शुक्ला उर्फ मानवेन्द्र शुक्ला पुत्र भानू प्रताप शुक्ला उम्र 20 वर्ष निवासी भट्ठा परेड परेड सरकार थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-226/2026, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 04 अदद मोबाइल फोन एन्ड्राएड
02. घटना में प्रयुक्त वाहन हीरो एच0एफ0 डीलक्स वाहन UP43AJ5490 बरामद

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 शुभांशु पाठक मय हमराह,
02. हे0कां0 कमलेश पाण्डेय
03. कां0 विमल सिंह
04. कां0 विनय प्रताप

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 16.03.2026**

**'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 1,20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी मोनू उर्फ मुरारी पुत्र रामरंग नि0 ग्राम गौसिहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में सूचना दी गई कि उसकी बहन माँ बाप के साथ गाँव पर रहती थी, बड़ा भाई सोनू उर्फ पुजारी इलाज हेतु लखनऊ में मेडिकल कालेज में भर्ती था और वह दिल्ली में था, दिनांक 09.04.2016 को ग्रामवासियों से सूचना मिली कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है और घरवालों ने बिना किसी संबंधी को सूखबर दिये शव को दफना दिया है। घर में पिता जी से संपर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उसकी बहन को साँप ने काट लिया था, वादी द्वारा आशंका जाहिर की गई कि उसके पिता सच नहीं बोल रहे हैं। वादी की लिखित तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए रामरंग शुक्ला पुत्र जवाहिर नि0 ग्राम मल्लापुर गौसिहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री इन्तखाब अहमद द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 22.05.2016 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

**दोषसिद्धि का विवरण-**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 16.03.2026 को थाना कौड़िया में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना कौड़िया के पैरोकार मुख्य आरक्षी रामाज्ञा व कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी शिवपाल सिंह के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त रामरंग शुक्ला पुत्र जवाहिर को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रू0 90,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**अभियुक्त का नाम पता-**

01. रामरंग शुक्ला पुत्र जवाहिर नि0 ग्राम मल्लापुर गौसिहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**अभियोग का विवरण-**

01. मु0अ0सं0- 92/2016 धारा 302,201 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**